



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27072021-228494
CG-DL-E-27072021-228494

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2739]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 27, 2021/श्रावण 5, 1943

No. 2739]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 27, 2021/SRAVANA 5, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2021

का.आ. 2945(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 689 (अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, नामतः:-

उक्त अनुसूची में, क्रम सं. 236 और 348 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः:-

तालिका

क्र. सं.	नई रारा सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग का विवरण
(1)	(2)	(3)
236	129ए	मणिपुर राज्य में मारम के निकट रारा-2 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर पेरेन, जालुकी, म्हेनमत्सी, हेनिंगकुंगलवा, खौआ नदी पुल जोड़ते हुए और नगालैंड राज्य में दीमापुर के निकट रारा-29 पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।

348	329ए	असम राज्य में दीफू के निकट रारा-329 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर पिमला जंक्शन जोड़ते हुए और नगालैंड राज्य में म्हेनमत्सी पर रारा-129ए पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।
-----	------	---

[फा. सं. एनएच-14012/17/2021-पी ऐंड एम- पार्ट(1)]

राजेश गुप्ता, निदेशक

पाद टिप्पण: राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) और तत्संबंधी अनुसूची, भारत के राजपत्र दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 में अधिसूचना संख्या का.आ. 689 (अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित की गई थी और पिछली बार संशोधन अधिसूचना सं. का. आ. 2895(अ), दिनांकित 20 जुलाई, 2021 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th July, 2021

S.O. 2945(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Road Transport and Highways published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub Section (ii) vide number S.O. 689(E) dated the 4th April, 2011, namely:—

In the Schedule, for serial number 236 & 348 and entries relating thereto, the following shall be substituted namely:—

Table

Serial No.	New National Highway No.	Description of National Highways
(1)	(2)	(3)
236	129A	The highway starting from its junction with NH-2 near Maram in the State of Manipur connecting Peren, Jaluki, Mhainamtsi, Heningkunglwa, Khouva River Bridge, and terminating at NH-29 near Dimapur in the State of Nagaland.
348	329A	The highway starting from its junction with NH No-329 near Diphu in the state of Assam connecting Pimla junction and terminating at Mhainamtsi on NH-129A in the state of Nagaland.

[F. No. NH-14012/17/2021-P&M-Part(1)]

RAJESH GUPTA, Director

Footnote:- The Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) was substituted vide notification number S.O.689 (E), dated 4th April, 2011 published in the Gazette of India, dated the 4th April, 2011 and subsequently amended vide notifications number S.O. 2895 (E), dated 20th July, 2021.